

हुक्म या कार्यवाही पर इनिशियल जज

नम्बर १४१७  
३१७ भाग जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी है।

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। प्राणी कर्मिका रक्षापत्र। फल  
पक्ष के विनांक 01.10.25 को को। को।

*[Signature]*

12-9-25

पत्रावली पेश हुई जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा  
के आदेश क्रमांक न्यायालय विधि 2025  
12315 दिनांक 01.09.25 से प्रकरण न्यायालय सहायक  
कलेक्टर (विपक्ष) भीलवाड़ा को स्थानान्तरित किया  
जाता पक्षकारान उक्त न्यायालय में दिनांक 01-10-25  
को उपस्थित होंगे।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

29/9/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा के आदेश  
क्रमांक न्यायालय विधि 2025/12315 दिनांक  
12/9/25 की तालिका में थापताय उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा से पत्रावली उत्तरवान *[Signature]* बनाम  
*[Signature]* यहाँ स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक  
कलेक्टर भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है पत्रावली अद से / प्रार्थना  
सं. 37/1/2025 पंजीबंद किया जाकर पूर्व न्यायालय के  
आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु दिनांक  
6/10/25 को पेश हो।

*[Signature]*  
सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा

6/10/25

पत्रावली पेश हुई। प्राणी कर्मिका रक्षापत्र। फल  
क्र. 3 की अद से पत्रावली प्रकाश मरकाव उपखण्ड अधिकारी पत्रावली  
वापस प्रकाश मरकाव उपखण्ड अधिकारी पत्रावली  
को पेश हो।

*[Signature]*  
6/10/25

30/10/25

पत्रावली पेश हुई। प्राणी कर्मिका रक्षापत्र। फल  
मरकाव उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपर्युक्त मूल वाद सं. 730/25  
लोटास जलपान बनाम लोटास व मजदारी विधि  
का मुकदमा प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र  
धारा 218 राजस्थान कार्यवाही अधिनियम मूल वाद  
के निर्णय का निर्णय के कारण कोई कार्यवाही को  
नहीं है। अतः प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र  
धारा 218 राजस्थान कार्यवाही अधिनियम प्राणी कर्मिका रक्षापत्र  
विधि प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र  
पत्रावली प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र  
पत्रावली प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र प्राणी कर्मिका रक्षापत्र

*[Signature]*  
सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा